सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-4904/MH/12/2025-RU-I **दिनांक: 28.04.2026**

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पालघर,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.palghar@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-पालघर,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
प्रशासनिक भवन, मोरेखुरान रोड,
कोलगाँव, पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.palghar@mahapolice.gov.in

विषय: आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा जबरन पेट्रोल पंप खोले जाने एवं जमीन की मिट्टी खोदकर गैर-आदिवासियों को बेचे जाने के संबंध में श्रीमति ताई चैत्य रैयत, गाँव-अंबोली, तालुका-ड़हाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र का दिनांक 07.04.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमति ताई चैत्य रैयत,
गाँव-अंबोली, तालुका-ड़हाणु,
जिला-पालघर, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-4904/MH/12/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर जनजाति द्वारा जबरन पेट्रोल पंप खोले जाने एवं जमीन की मिट्टी खोदकर गैर- जनजातीय को बेचे जाने के संबंध में श्रीमती ताई चैत्य रैयत, गाँव-अंवोली, तालुका-ड़हाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र का दिनांक 07.04.2025 के अभ्यावेदन पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि: 16.03.2026
सिटिंग की अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय
उपस्थित अधिकारी/प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 07.04.2025 में प्रार्थी श्रीमती ताई चैत्य रैयत ने आयोग को अवगत कराया कि भूमि गट समूह संख्या 25 व उपखंड संख्या 1, 9, 11 और गट क्रमांक 57 व उपखंड 1,3 पर, जो कि उनके स्वामित्व की भूमि है, उस पर कुछ गैर जनजाति के लोगों (आरती संजय सिंह, पूनम विनोद कुमार सिंह, रेशमा मनोज कुमार सिंह, श्री. मनोज कुमार पारसनाथ सिंह, श्री विनोद कुमार पारसनाथ सिंह, श्री. संजय पारसनाथ सिंह और अन्य) द्वारा उक्त भूमि पर जबरन पेट्रोल पंप बना दिया गया है और अन्य कुछ भूमि पर मिट्टी उत्खनन करके उसे बेचा जा रहा है।

अभ्यावेदन के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों (आरती संजय सिंह, पूनम विनोद कुमार सिंह, रेशमा मनोज कुमार सिंह, मनोज कुमार पारसनाथ सिंह, विनोद कुमार पारसनाथ सिंह, संजय पारसनाथ सिंह एवं अन्य) द्वारा उक्त भूमि पर जबरन पेट्रोल पंप स्थापित कर दिया गया है तथा अन्य भाग में अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन कर उसका विक्रय किया जा रहा है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन को कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है तथा आपत्ति दर्ज कराने पर आवेदिका को धमकाया एवं प्रताड़ित किया जाता है। आवेदिका ने आयोग से अनुरोध किया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उसकी भूमि पुनः दिलाई जाए।

प्रकरण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 17.06.2025 को आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसीलदार, दहाणू एवं जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर के प्रतिवेदन के आधार पर अवगत कराया गया कि प्रार्थी एवं अनावेदक दोनों ही उक्त भूमि पर अपना-अपना कब्जा बताते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि पर पूर्व में 60 शर्तों के अधीन होटल व्यवसाय हेतु अनुमति प्रदान की गई

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

थी, जिसे बाद में 19 वर्ष 11 माह की अवधि के लिए पेट्रोल पंप संचालन हेतु लीज पर दिया गया है। साथ ही, यह भी बताया गया कि सीमांकन कार्य पुलिस सुरक्षा के बिना संभव नहीं है तथा इसके लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता बताई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24/6/2025 को सिटिंग आहूत की गई।

आयोग द्वारा पूर्व सुनवाई दिनांक 24/6/025 में निम्नलिखित निर्देश/अनुशंसाएँ की गई थीं—
1. जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि सर्च रिपोर्ट/मोजनी शीट एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जनजाति की भूमि का गैर-जनजातीय के नाम हस्तांतरण किस प्रकार हुआ।

2. यह निर्देशित किया गया कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति की महिला की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है, अतः सिविल न्यायालय के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता है तथा संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3. जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल सीमांकन कार्य पूर्ण कराकर दो माह के भीतर आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

4. तत्पश्चात, आयोग के जांच दल द्वारा दिनांक 20.08.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रकरण सिविल न्यायालय, पालघर में लंबित है तथा प्रशासन को आधुनिक तकनीक (GPS/GIS) के माध्यम से सीमांकन कराने एवं आवेदिका को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता है।

उक्त अनुशंसाओं पर कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होन के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16/3/2026 को पुन: सिटिंग आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को जिला कलेक्टर कार्यालय, पालघर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि डॉ. नरेंद्र माने, तहसीलदार और याचिकाकर्ता उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी तथा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई हेतु निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

आयोग द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं :

1. जिला कलेक्टर पालघर जिला पालघर, तहसील दहानु, ग्राम- अंबोली सर्वे नं. 25/1/2 रकबा 11.800 हेक्टेयर स्थित भूमि पर से महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 की धरा 36 एवं 36ए के अंतर्गत कार्रवाई कर गैर जनजाति व्यक्तियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई करें एवं की गई कार्रवाई से 1 माह के भीतर आयोग को अवगत करावें।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2. जिला पुलिस अधीक्षक पालघर जिला पालघर, तहसील दहानु, ग्राम- अंबोली सर्वे नं. 25/1/2 रकबा 11.800 हेक्टेयर स्थित भूमि पर गैर जनजाति व्यक्तियों का कब्जा होने के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 च एवं छ के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें एवं की गई कार्रवाई से 15 दिवस के भीतर आयोग को अवगत करावें।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

9 .

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-4904/MH/12/2025-RU-I

दिनांक: 16.03 2026

विषय: आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा जबरन पेट्रोल पंप खोले जाने एवं जमीन की मिट्टी खोदकर गैर-आदिवासियों को बेचे जाने के संबंध में श्रीमति ताई चैत्य रैयत, गाँव-अंबोली, तालुका-ड़हाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र का दिनांक 07.04.2025 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,
पालघर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	डॉ. नरेंद्र माने	तहसीलदार (सा.प्र) जिल्हाधिकारी कार्या. पालघर	8856831928	[illegible] 16/03/2026
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	ताई रायत चैत्या			ताई [illegible]
2.				
3.				
4.				